अन्तिम डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

भंवर खां बनाम **सायरा बानो आदि**

दावा बाबत बंटवारा

दावा मुकदमा नं. 112/2016 **निर्णय दिनांक– 07.06.2018**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अनिल कुमार, आरएएस व हाजिरी .... रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जा है कि वादी का वाद तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर आराजी खसरा सं. 259/3 रकबा 7.44 हैक्टेयर वाके ग्राम बलारां, तहसील लक्ष्मणगढ जिला–सीकर में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है–

खातेदार का नाम	उखसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान
1. शायराबानो पत्नी मीरू खां युसुफ खां पुत्र मीरू खां हाजरा अख्तरी बरकती पुत्रीयां मीरू खां हि. 5/6 हि.ब. राहिन बड़ौदा रा.क्षे.ग्रा. बैंक शाखा बलारां मूर्तहीन नवाब खां पुत्र मीरू खां हि. 1/6 दर रकबा 3.50 है. जन्नतबानो पत्नी स्व. वासु खां जहांगीर सिकन्दर कलन्दर सलीम पि. वासु खां नूरबानो मुमजात बानो ताज बानो जाहीदा बानो रूकसाना बानो पुत्रीयां वासुखां हि.ब. रकबा 3.83 है. जाति मुसलमान सा.देह	259/3/1	7.33 हैक्टेयर	बा.1 2.91 बा.2 4.42	16.17 19.14
2. भंवर खां पुत्र अजीम खां जाति मुसलमान सा. देह	259/3/2	0.11 हैक्टेयर	बा.1	0.61

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो।

बीज ....मुबलिग .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमें के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ....को अदा करें।

बसब्ब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.06.2018 को केम्प बलारां में जारी की गई।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– बलारां

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जी के लिए स्टाम्प 3. प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 5. आदेशिका की तामिल 6. कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– बलारां

07.06.18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत– न्याय आपके द्वार– 2018 के तहत आयोजित कैम्प बलारां में पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से विभाजन प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हो चुका है। प्रस्तुत वाद का भी अवलोकन किया जिसमें वादी ने बंटवारा चाहा है। साथ ही पत्रावली में प्रतिवादीगण सं. 4 ता 6 व 16 की तलबी शेष है। चूंकि प्रकरण वर्ष 2016 से विचाराधीन है। प्रकरण दावा महज और महज साधारण विभाजन का है। जिसमें प्रतिवादीगण सं. 4 ता 6 व 16 के परिवार के सदस्यों (यथा उनकी माता व भाईयों) पर विधिवत तामील हो चुकी है। जिसके कारण यह प्रतीत होता है कि प्रकरण में उक्त प्रतिवादीगण सं. 4 ता 6 व 16 को प्रकरण व तलबी नोटिसेस की जानकारी थी उक्त के बावजूद तामील न होना व उपस्थित न होना उक्त प्रतिवादीगण सं. 4 ता 6 व 16 के द्वारा जानबूझ कर देरी किया जाना प्रतीत होता है। साथ ही प्रकरण साधारण विभाजन का होने के कारण उक्त प्रतिवादीगण सं. 4 ता 6 व 16 की तलबी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस बाबत कैम्प स्थल पर मज्मे–आम से भी पूछताछ की गई। उक्त विभाजन प्रस्ताव का भी अवलोकन किया। उपरोक्त अवलोकन के उपरांन्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/भू.अ./16/3288 दिनांक 04.10.2016 के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक वाद अनुरूप है, सही प्रतीत होता है। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के प्राथमिक डिक्री व रिकार्ड के अनुसार ही होना प्रकट होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाता है। अतः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा सं. 259/3 रकबा 7.44 हैक्टेयर वाके ग्राम बलारां, तहसील लक्ष्मणगढ जिला–सीकर में निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा
1. शायराबानो पत्नी मीरू खां युसुफ खां पुत्र मीरू खां हाजरा अख्तरी बरकती पुत्रीयां मीरू खां हि. 5/6 हि. ब. राहिन बड़ौदा रा.क्षे.ग्रा. बैंक शाखा बलारां मूर्तहीन नवाब खां पुत्र मीरू खां हि. 1/6 दर रकबा 3.50 है. जन्नतबानो पत्नी स्व. वासु खां जहांगीर सिकन्दर कलन्दर सलीम पि. वासु खां नूरबानो मुमजात बानो ताज बानो जाहीदा बानो रूकसाना बानो पुत्रीयां वासुखां हि.ब. रकबा 3.83 है. जाति मुसलमान सा.देह	259/3/1	7.33 हैक्टेयर
2. भंवर खां पुत्र अजीम खां जाति मुसलमान सा. देह	259/3/2	0.11 हैक्टेयर

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– बलारां

Web Copy - Not Official